न्यायालय सिविल जज (सी0डि0),एफ.टी.सी./अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

मुकदमा अपराध सं0–88/2018

सरकार बनाम सज्जाद

धारा–3/5/8 सी0एस0 एक्ट व
11 पशु क्रूरता अधिनियम
थाना अमरिया, पीलीभीत।

<u>दिनांक:27.04.2018</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सज्जाद पुत्र फजलू उर्फ फजल अहमद, निवासी उदयपुर, थाना अमरिया, जनपद पीलीभीत की ओर से मुकदमा अपराध सं0 88/2018, अं0 धारा धारा–3/5/8 सी0एस0 एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना अमरिया, जिला पीलीभीत के मामले में प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है कि उसके कब्जे से पशु बरामद नहीं हुए हैं। बरामदगी झूंठी एवं फर्जी दर्शाई गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया है।

सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रपत्रों मय प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त सज्जाद पर गौवंसीय पशुओ के साथ क्रूरता करने तथा वघ करने का आरोप है। फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराध करने और उनके कब्जे पांच रास गौवंशीय पशु व उनके काटने के उपकरण बरामद होना दर्शित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है। तद्नुसार अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त सज्जाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

सिविल जज (सी0डि0),एफ.टी.सी./
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।
27.4.2018